संख्या-63/2023/1780/77-3-23-15एम/23

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक: 11 अक्टूबर, 2023

विषयः- उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ चयनित स्थलों पर औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3399/772/वाल्यूम 03/भू-अर्जन दिनांक 23.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ चयनित स्थलों पर औद्योगिक गलियारा/केन्द्र विकसित किये जाने हेतु बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण की भांति यूपीडा के पास भी इस हेतु पूर्व से कोई अपना वित्तीय स्रोत उपलब्ध न होने के फलस्वरूप वर्तमान में यूपीडा द्वारा स्वयं के स्रोतों से शर्त के अनुसार 50 प्रतिशत का वित्त पोषण किया जाना संभव न होने के दृष्टिगत यूपीडा को भी बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण हेतु प्राविधानित शर्तों के अनुरूप रू 3000 करोड़ में से आवश्यक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं आगामी वित्तीय वर्षो में भी इस मद में प्राविधानित धनराशि में से आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. यूपीडा द्वारा औद्योगिक गलियारा/केन्द्र विकसित किये जाने हेतु "लैण्ड पूलिंग" के माध्यम से भी भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जाए।

4. यूपीडा को औद्योगिक गलियारा/केन्द्र विकसित किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार भूमि क्रय के लिये उक्त धनराशि औद्योगिक विकास अनुभाग-4,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 4577/77-4-23-4389/22 दिनांक 02.08.2023 द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

कृपया तदक्रम में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0।
(2)निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0।
(3)निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(3)महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ।
(4)महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(5)मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
(6)वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
(7)संबंधित कोषाधिकारी।
(8)संबंधित वित्त नियंत्रक।
(9)निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
(10) औद्योगिक विकास अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
(11)गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।